राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 451/2024

बजरंग लाल –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव–II, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुन्झुनूं।
4. राजेन्द्र सिंह डूडी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति बुहाना जिला झुन्झुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.02.2024
आदेश की दिनांक : 13.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 13.03.1997 को ग्राम सेवक के पद पर हुई। तत्पश्चात अपीलार्थी पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 24.10.2019 द्वारा पदोन्नत होने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.06.2020 द्वारा पंचायत समिति सूरजगढ़ में पदस्थापित किया गया (अनुलग्नक–2)। आदेश दिनांक 23.08.2022 द्वारा अपीलार्थी को एपीओ किया गया एवं आदेश दिनांक 09.09.2022 द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति चिडावा में पदस्थापित किया (अनुलग्नक–3 एवं 4)। अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा पंचायत समिति चिडावा (झुन्झुनूं) से पंचायत समिति बुहाना (झुन्झुनूं) स्थानान्तरण किया गया, जो जिला स्थापना समिति के बिना अनुमोदन किया गया, जो पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 के प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही उक्त नियम 1996 के नियम 89 (8A) के अनुसार राज्य सरकार पंचायती राज सेवा के किसी सदस्य का एक पंचायत समिति से अन्य पंचायत समिति में स्थानान्तरण चाहे

जिले के भीतर हो या बाहर, स्थानान्तरण प्रधान के परामर्श से ही कर सकती है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रधान से परामर्श नहीं किया गया है। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् या जिला स्थापना समिति ही जिले में स्थानान्तरण हेतु सक्षम है। अतः आलौच्य आदेश पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 289 एवं पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89 के उल्लंघन में जारी किया गया है। आलौच्य आदेश अनुलग्नक–1 पर उपलब्ध है। साथ ही अपीलार्थी को नजर (eye sight) की परेशानी है एवं AIIMS दिल्ली में उपचार चल रहा है। उसे दैनिक कार्यों हेतु सहायता की आवश्यकता रहती है उसके स्थानान्तरण से उसे भारी असुविधा होगी (अनुलग्नक–5)। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.06.2023 (अनुलग्नक–6) के अनुसार किसी अधिकारी/कर्मचारी का एक स्थान पर पदस्थापन सामान्यतः 3 वर्ष एवं विशेष ड्यूटी की दशा में 05 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना क्षैत्राधिकार के असक्षम प्राधिकारी द्वारा पंचायतीराज 1996 के नियम 289 एवं पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89 के उल्लंघन में मात्र 1 वर्ष 5 माह बाद ही कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश अपास्त कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन पर ही निरन्तर रखा जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी सहायक विकास अधिकारी है। पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89 एवं नियम 1996 का नियम 289 उसमें वर्णित श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू है। सहायक विकास अधिकारी का पद उसमें अंकित नहीं होने से उक्त विधिक प्रावधान अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं होते है। सहायक विकास अधिकारी का स्थानान्तरण करने हेतु राज्य सरकार सक्षम है एवं आलौच्य आदेश राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से अपीलार्थी के वर्तमान पद पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात किया गया है। आलौच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि या दुर्भावना निहित नहीं है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना कोई आधार नहीं है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य